फर्द अहकाम

बनाम रामदास

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर

संख्या 201/2022

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	2-1-23	यह वाद वादिया की ओर से श्री रामनिवास मीना एडवो. ने धारा 53, 188 & 51 Act के तहत पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर होकर अशाखी की रजिस्टर तलबी जावी हो पत्रावली दिनांक 16-1-23 को पेश हो	
	16/1/23	पत्रावली पत्रावली वकील वादी उपस्थित दिनांक 24/4/23 को पेश हो।	
	24/4/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कर्मचारियों की हड़ताल हो। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/7/23 को पेश हो।	
	10/7/23	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता आधिकार अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण पूर्व डेट दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 11-9-23 को पेश हो	
	11-9-23	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ कम्प्लीटली / कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ..... पेश हो।	
	13/11/23	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता आधिकार अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण पूर्व डेट दी गई पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 26/3/24 पेश हो।	
	3-1-24	पत्रावली वाद वकील वादी द्वारा निर्दोष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तलब की गई। वकील वादी के निर्दोष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद का कोई कारण शेष नहीं चलाने चाहिये है तथा मुकदमा वाद का निर्दोष करार से खारिज किया जावे। वकील वादी का उक्त प्रार्थना पत्र पढ़ा गया। सुना गया। मीना सुनी जाती है तथा वादी का वाद निर्दोष करने की स्वीकृति दी जाती है। वादी का वाद निर्दोष कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से खारिज हो।	गंगा देवी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर